राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 101/2018

दायर दिनांकः—20.08.2018

पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. कुणाराम पुत्र गोदू उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

————वादी

बनाम

1. सुगनाराम पुत्र गोदु उर्फ गोदुराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

————प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सुगनाराम पुत्र गोधु उर्फ गोदुराम दोनों सगे भाई हैं जिनके संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पेतृक कृषि आराजी ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में निम्न खसरा नम्बरान की आराजी स्थित है—खाता संख्या नया 67 पुराना 57 खसरा नम्बर 174/1 रकबा 19—06—00 बीघा, खाता संख्या नया 41 पुराना 39 खसरा नम्बर 55 रकबा 15—05—00 बीघा ग्राम दरडून्द तहसील रूपनगढ के खाता संख्या नया 23 पुराना 13 खसरा नम्बर 2/1 रकबा 10—00—00 बीघा स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हिस्सा निहित है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने—अपने हिस्से की आराजी में काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सगा छोटा भाई है तथा वाद अधीन आराजी का रिकॉर्ड में बंटवारा किया हुआ नही है किन्तु मौके पर दोनों भाईयों द्वारा अलग—अलग काश्त करने हेतु बांट रखी है तथा वाद पत्र में वर्णित ग्राम पनेर की आराजी के चार हिस्से हो रखे है जिसमें खसरा नम्बर 174/1 में पश्चिम दिशा में उत्तर की तरफ वादी का हिस्सा है तथा पूर्व दिशा में दक्षिण की तरफ वादी का हिस्सा मौके पर बांट रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पश्चिम दिशा में दक्षिण की ओर तथा पूर्व दिशा में उत्तर की ओर हिस्सा आया हुआ है अर्थात दोनों भाइयों के पास दो—दो टुकड़े बंटे हुए है। खाता संख्या नया 41 पुराना 39 खसरा नम्बर 55 रकबा 15—05—00 बीघा की आराजी में उत्तर से दक्षिण की ओर दो हिस्से हो रखे है। पूर्व का हिस्सा वादी के पास है और पश्चिम दिशा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आया हुआ है। ग्राम दरडून्द तहसील रूपनगढ के खाता संख्या नया 23 पुराना 13 खसरा नम्बर 2/1 रकबा 10—00—00 बीघा आराजी के भी 4 हिस्से हो रखे है। इस आराजी के पश्चिमी उत्तरी कोने पर वादी का हिस्सा है तथा इसी प्रकार पूर्वी दक्षिणी कोने पर वादी का हिस्सा तथा उतरी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा तथा दक्षिणी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा आया हुआ है। उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फर्क आया हुआ है। वह आये दिन वादी को वाद अधीन आराजी के अपने हिस्से में अर्थात् 1/2 हिस्से में प्रत्येक आराजी में काश्त करने में दिनांक—30.05.2018 को जब खेत बुवाई करने लगे तब ही झगड़ा फसाद कर लिया किन्तु वादी ने भाई होने के नाते किसी तरह का कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। वादी द्वारा ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 174/1 में अपने हिस्से अनुसार फसल काश्त कर ली किन्तु ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 55 एवं ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 2/1 में फसल काश्त नहीं करने दी गई जबकि प्रत्येक आराजी में वादी का 1/2—1/2 हिस्सा निहित है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 वाद अधीन आराजी ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 55 एवं ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 2/1 की संपूर्ण आराजी में अपने जानवर चरा रहा है। वादी के द्वारा इन्कार करने पर झगड़ा फसाद करने को उतारु हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वादी द्वारा उक्त आराजी का झगड़ा फसाद करने के बजाय अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा कर, नाप चोक कर नया खाता, खसरा नम्बर कायम कर, लगान का बंटवारा कर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री से पाबंद करावे कि वह वादी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नहीं करे, वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिजन, नौकर चाकर आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से मूल्य में संभव नही है तथा वादी का हित बढेगा। ऐसी परिस्थिति में वादी द्वारा उक्त वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु करना आवश्यक हुआ। वाद अधीन आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में रहन रखकर लोन लिया हुआ है इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गौरीशंकर बियाणी ने जवाब प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उभयपक्ष के अधिवक्तागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि बंटवारा किया जाता [illegible] हमे कोई आपत्ति नही है। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना मे [illegible]सीलदार रुपनगढ से दिनांक–11.02.2020 को कमिश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की ओर से कमिश्नरी रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराई कि खसरा नम्बर 174/3 में सुगम आवागमन हेतु खसरा नम्बर 174/1 की पूर्वी सीमा पर रास्ते की आवश्यकता है एवं खसरा नम्बर 55/1 में स्थित शामलाती नलकूप पर रास्ते की आवश्यकता है। अतः दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार रुपनगढ को लिखा जावे। तहसीलदार रुपनगढ से दिनांक–27.07.2021 को पुनः कमिश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर उभयपक्ष द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष को सुना। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

ग्राम– पनेर

क्र0 स0	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा (है0)	किस्म
1	कुनणाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	174/1 55/1	1.5613 1.2256	बा0 1 बा0 3
		कुल किता 2	2.7869	
2	सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	174/2 55/3	1.5614 1.2255	बा0 ए 1.3915 बा0 1 0.1699 बा0 3
		कुल किता 2	2.7869	
3	कुनणाराम पुत्र गोदूरामहि0 1/2 व सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	55/2 55/4 55/5	0.0096 0.0024 0.0043	नलकूप नलकूप नलकूप
		कुल किता 3	0.0163	

ग्राम–दरडून्द

क्र0 स0	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा (है0)	किस्म
1	कुनणाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर	329/2/2	0.8090	बा0 3
2	सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	329/2/1 329/2/3	0.4045 0.4045	बा0 3 बा0 3
		कुल किता 2	0.8090	

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। कमिश्नरी रि[illegible] अंतिम डिक्री का भाग होगा। प्रतिवादी संख्या 01 व उसके परिजन, नौकर चाकर को स्थायी नि[illegible]बन्द किया जाता है कि वह वादी के हिस्से मे बंटवारे के बाद आयी आराजी में किसी [illegible] प्रकार का झगडा फसाद नही करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा का[illegible] करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया एवं शा[illegible] पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0 101/2018

1 कुनणाराम पुत्र गोदू उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

----वादी

बनाम

1 सुगनाराम पुत्र गोदू उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2 बैंक ऑफ बडोदा शाखा रूपनगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

-----प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 55 व खसरा नम्बर 174/1 एव ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 329/2 मे अंतिम डिक्री जारी की जाकर रिकॉर्ड मे निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

ग्राम–पनेर

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा (है0)	किस्म
1	कुनणाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	174/1	1.5613	बा0 1
		55/1	1.2256	बा0 3
		कुल किता 2	2.7869	
2	सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	174/2	1.5614	बा0 ए 1.3915 बा0 1 0.1699
		55/3	1.2255	बा0 3
		कुल किता 2	2.7869	
3	कुनणाराम पुत्र गोदूरामहि0 1/2 व सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0देह राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	55/2	0.0096	नलकूप
		55/4	0.0024	नलकूप
		55/5	0.0043	नलकूप
		कुल किता 3	0.0163	

ग्राम–दरडून्द

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा (है0)	किस्म
1	कुनणाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर	329/2/2	0.8090	बा0 3
2	सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुपनगढ	329/2/1	0.4045	बा0 3
		329/2/3	0.4045	बा0 3
		कुल [illegible]	0.8090	

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ सलग्न नक्शा ट्रेस अतिम डिक्री का भाग होगा। प्र[illegible]ा 01 व उसके परिजन, नौकर चाकर को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा[illegible]के बाद आयी आराजी मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद [illegible] करे, वादी के उपयोग व उपभोग मे बाधा कारित नही करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.09.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:19 IST
Reason: SelfAttested